

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
शिक्षा निदेशालय, पुराना सचिवालय, दिल्ली
विधायी कार्य शाखा / प्रश्न कक्ष

संख्या: डी.ई.-25 (13)/261 /वि.कार्य/2018-19/ 502-03

दिनांक - 25/2/19

सेवा में,

उप सचिव (प्रश्न कक्ष)
दिल्ली विधान सभा सचिवालय,
पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054


विषय:- विधानसभा तारांकित/अतारांकित प्रश्न संख्या10..... दिनांक 25/2/19 के सन्दर्भ में।

महोदय,

आपकी सेवा में दिनांक 06.08.2018 को विधानसभा में पूछे गये उपरोक्त प्रश्न की 100 प्रतिलिपियाँ भेजने का निर्देश प्राप्त हुआ है, जो कि आपको अग्रिम एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती है।

भवदीय,

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार


उप शिक्षा निदेशक,
(विधायी कार्य शाखा)
Deputy Director of Education
ICT of Delhi

प्रतिलिपि:-

1. निदेशक, सूचना एवं प्रचार विभाग, दिल्ली सरकार, पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054।

विभाग का नाम :- शिक्षा विभाग

विभाग का पता :- पुराना सचिवालय, दिल्ली - 110054

तारांकित प्रश्न संख्या :- 10

दिनांक :- 25.02.2019

प्रश्नकर्ता का नाम :- श्री मनजिंदर सिंह सिरसा

क्या उपमुख्यमंत्री/मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

क्रम संख्या	प्रश्न	उत्तर
क)	क्या यह सत्य है कि केबिनेट के निर्णय दिनांक 24.06.2016 के अनुसार 769 पंजाबी अध्यापक भर्ती करने का निर्णय लिया गया था;	जी हाँ।
ख)	यदि हाँ, तो उस निर्णय के अनुसार सरकार द्वारा अभी तक कितने पंजाबी अध्यापकों की नियुक्ति की गई है;	टी.जी.टी. (पंजाबी) की भर्ती प्रक्रिया चालू है। इस संबंध में दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड को अभ्यर्थी के चयन हेतु निम्नलिखित माँग भेजी गई है:- <ol style="list-style-type: none">214 पदों को (वर्ष 2013-14 से 2016-17 तक) सीधी भर्ती के माध्यम से भरने के लिए दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने विज्ञापन संख्या 04/17 प्रेषित की है।14 पदों (वर्ष 2017-18) को सीधी भर्ती के माध्यम से भरने के लिए दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड को निवेदन पत्र भेजा गया है।681 पद जो कि पदोन्नति के द्वारा नहीं भरे जा सके, उन पदों को भरने के लिए भी दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड को निवेदन पत्र भेजा जा चुका है। <p>उपरोक्त निवेदनों में वह पद (कुल 769) भी शामिल हैं जिनका सृजन वर्ष 2016 में किया गया था।</p>
ग)	यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;	लागू नहीं है।
घ)	क्या यह भी सत्य है कि पंजाबी अकादमी द्वारा 500 अध्यापकों की नियुक्ति की गई थी, जिन्हें नियमित रूप से वेतन नहीं मिल रहा है तथा वेतन पाने के लिए उन्हें महीनों तक इंतजार करना पड़ता है; और	पंजाबी अकादमी, दिल्ली द्वारा दी गई सूचना के अनुसार यह सत्य नहीं है।
ङ)	इन अध्यापकों को नियमित रूप से वेतन न दिए जाने के क्या कारण हैं ?	उपरोक्तानुसार

(S. C. MEENA)
Deputy Director of Education
Dte. of Education
Govt. of NCT of Delhi